

204

OR. B15(2)

श्री

अपील अन्तर्गत

अपील अन्तर्गत धारा 47 के उपधारा 5 भारतीय स्टॉम्प अधिनियम

PL-1481
18/8/04

A 1016-II/2004

न्यायालय श्रीमान मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी महोदय,
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

उप पंजीयक रत्नाम

विरुद्ध
राजस्व मण्डल श्रीमान मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी महोदय, रत्नाम.

अपीलांट

राजस्व मण्डल श्रीमान मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी महोदय,
मध्य प्रदेश ग्वालियर महोदय, उज्जैन संभाग, उज्जैन

-अपील-

रेस्पान्डेन्ट

1. अपीलार्थी का नाम, पिता/पति का नाम, व्यवसाय तथा पता :-
उप पंजीयक रत्नाम

राजस्व मण्डल श्रीमान मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी महोदय,
ग्वालियर महोदय, उज्जैन संभाग, उज्जैन

2. लिखितम् निष्पादन करने वाले का नाम, पिता/पति का नाम, व्यवसाय तथा पता:-

1. सुशीलबाई पति स्व. भूपेन्द्रनाथजी मेहता, निवासी 15 न्यु क्लॉथ मार्केट, रत्नाम
2. आश्यकुमार पिता स्व. भूपेन्द्रनाथजी मेहता, निवासी 15 न्यु क्लॉथ मार्केट, रत्नाम
3. संजयकुमार पिता स्व. भूपेन्द्रनाथजी मेहता, निवासी 15 न्यु क्लॉथ मार्केट, रत्नाम

3. लिखित के अधिन दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पुरा नाम, पिता/पति का नाम, व्यवसाय तथा पता :-

1. श्रीमती कोमलदेवी पति शान्तिलालजी गांधी, निवासी 10 हाटीराम दरवाजा, रत्नाम
2. श्रीमती शर्मिला पति अन्तिमकुमारजी गांधी, निवासी 10 हाटीराम दरवाजा, रत्नाम
3. श्रीमती स्नेहलता पति कमलकुमारजी गांधी, निवासी 10 हाटीराम दरवाजा, रत्नाम

4. लिखित की तारीख तथा उसका प्रकार :-
विक्रय पत्र, दिनांक 22.02.2003

..2

5. रजिस्ट्रीकरण कमांक, रजिस्ट्रीकरण की तारीख तथा उस कार्यालय का नाम,
जहाँ लिखित का रजिस्ट्रीकरण किया गया हो :-
कमांक अपंजीकृत, दिनांक 22.02.2003 उप पंजीयक कार्यालय रतलाम.
6. सेहसील तथा रजिस्ट्रीकरण उन जिलों के नाम सहित उस नगर या ग्राम का
नाम जहाँ संपत्ति स्थित है :-
न्यु क्लॉथ मार्केट रतलाम स्थित भकाम
7. कलेक्टर के उस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है, कमांक तथा तारीख
अपीलेट अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन का प्रकरण कमांक
347/2002-2003 अपील, दिनांक 20.01.2004
8. संपत्ति का बाजार मूल्य जैसा कि वह लिखित में उल्लेखित किया गया है:-
रुपये 9,25,000/- : नौ लाख पच्चीस हजार रुपये;
9. संपत्ति का बाजार मूल्य जैसा कि कलेक्टर द्वारा अवधारित किया गया है:-
उपरोक्त चरण आठ में वर्णित मूल्य रुपये 9,25,000/- के बजाय माननीय
कलेक्टर ऑफ स्टॉप्प द्वारा रुपये 11,79,000/- मानकर अवधारण किया है।
10. अपील अवधि में होने का कारण :-
माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा याने अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा आदेश
दिनांक 20.01.2004 को पारित किया, जिसमें अपील करने हेतु माननीय जिला पंजीयक भाष्यम
रतलाम द्वारा उनके पत्र कमांक 521/जि.प./04, दिनांक 16.04.2004 द्वारा अपीलांट को अपील
करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।
11. अपील के साथ :-
 1. आदेश की प्रभागित प्रतिलिपि।
 2. जिला पंजीयक महोदय का पत्र कमांक 521/जि.प./04, दिनांक 16.04.2004
12. अपील के आधारों का ज्ञापन :-

अपील निम्न लिखित आधारों पर प्रस्तुत है :-

 1. यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांकित 20.01.2004 त्रुटि पूर्ण होकर विभिन्न प्रा.
विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।
 2. यह कि अपीलांट ने नगर रतलाम मोहल्ला न्यु क्लॉथ मार्केट स्थित भकाम में का
एक हिस्सा भकाम कर किया है, जिसका भूम्यांकन दस्तावेज में रुपये 9,25,000/- : नौ लाख
पच्चीस हजार बताया गया है, जो मूल्यांकन गाईड लाइन अनुसार कम प्रतीत होने पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

२०४

१६३

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-1016-दो/2004

स्थान तथा दिनांक	कार्यशाली तथा आदेश	प्रकरण संख्या
30-08-2019	<p>आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 03-06-2010 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रुचि नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अरुचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p>(महेश चंद्र चौधरी) सदस्य</p> <p style="text-align: right;">↑</p>	